सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 395 राँची, गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

6 जुलाई, 2026

विषयः-विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 द्वारा निरूपित नीति निर्देशक सिद्वांत तथा उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन के सबंध मे।

संख्या-10/नीति नि०-07-05/2026 का.- 4367--प्रोन्नति किसी कर्मी की सेवा अवधि, योग्यता, वरीयता एवं क्षमता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति को परिलक्षित करता है। यह कर्मी के पेशेवर विकास, मनोबल एवं कार्य कुशलता में वृद्धि का साधन है। प्रोन्नति से न केवल व्यक्तिगत प्रगति सुनिश्चित होती है, बल्कि सरकारी कार्यो के निष्पादन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कर्मी में उत्तरदायित्व की भावना, अनुशासन एवं विभाग/कार्यालय के प्रति निष्ठा को सुदृढ़ करती है।

2. उक्त हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 के द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु नीति निदेशक सिद्धांत एवं उसकी कार्य प्रणाली के निरूपण के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गए है। उक्त दिशा-निदेश के आलोक में विभिन्न विभागों/कार्यालयों के द्वारा विभिन्न सेवा/संवर्गों में नियमानुसार प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही है।

3. परन्तु उक्त संकल्प में प्रोन्नति समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार एवं कब आहूत की जानी है, के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप विभिन्न सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति की कार्रवाई लंबित रहती है, जिससे न्यायालीय वादों में अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है। अतएव विभिन्न सेवा/संवर्गो में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत करने के संबंध में एक समान व्यवस्था निरूपित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4. वर्णित स्थिति में राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के कर्मियों को ससमय प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 की कंडिका-05 के प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रावधानों को अन्तःस्थापित किया जाता है:-

(I) विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक साधारणतः वर्ष में एक बार (माह जून/जुलाई) वास्तविक रिक्ति के आधार पर नियमानुसार आरक्षण रोस्टर के अनुरूप की जायेगी।

(II) रिक्तियों की गणना के उपरांत आरक्षण रोस्टर तैयार करते हुए उस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(III) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित अधिसूचना निर्गत की जा सकेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

5. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगी।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-4316 दिनांक-02.07.2026 के क्रम में दिनांक-02.07.2026 की बैठक के मद संख्या-25 के रूप में दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 395 - 50